न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : डा0मधु खरे

सदस्य

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक 2569–तीन/2015 – विरूद्ध आदेश दिनांक 26–8–2010 – पारित व्दारा कलेक्टर, जिला शहडौल, मध्य प्रदेश – प्रकरण कमांक 51 अ–74/2009–10

श्रीमती विद्या पत्नि अशोक तिवारी
मूर्तिहा तालाब के पास, मैकी रोड
ग्राम कुन्दरी तहसील व जिला शहडौल ---आवेदिका

विरूद्ध

म0प्र0शासन --- अनावेदक

(श्री एस0के0बाजपेयी अभिभाषक – आवेदिका)
(श्री अनिल श्रीवास्तव अभिभाषक – अनावेदक)

आ दे श

(दिनांक 22 दिसम्बर, 2015)

कलेक्टर जिला शहडौल द्वारा प्रकरण कमांक 51 अ–74/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 26–8–2010 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी दिनांक 10–08–2015 को प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार सोहागपुर एंव अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर से कलेक्टर शहडौल को इस आशय के प्रतिवेदन प्राप्त हुये कि ग्राम कुदरी स्थित भूमि सर्वे कमांक 26/1 रकबा 0.10 एकड़, 26/2 रकबा 1.12 एकड़, 26/3/1 रकबा 0.77 एकड़, 26/3/2 रकबा 0.15 एकड़, 26/3/3 रकबा 0.60 एकड़, 26/3/4 रकबा 0.07 एकड़, 58/1 रकबा 0.10 एकड़, 58/2 रकबा 0.50 एकड़, 59/1 रकबा 0.49 एकड़, 59/2 रकबा 0.53 एकड़ 59/518 रकबा 0.41 एकड़ (आगे जिन्हें वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) राजस्व अभिलेख में भीटा नोईयत दर्ज है और इस भूमि पर श्रीमती रामवती पत्नि स्व. सुन्दरलाल गुप्ता वगैरह निवासी सोगपुर का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है। तालाब/भीटा भूमि का आवंटन अथवा व्यवस्थापन करने का कोई बैधानिक प्रावधान नहीं था। अतः प्रविष्टि निरस्त कर भूमि को शासकीय दर्ज किया जाय। कलेक्टर शहडौल ने प्रकरण कमांक 51 अ-74/2009-10 पंजीबद्व किया तथा उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अंतरिम आदेश दिनांक 26-8-2010 पारित किया तथा संहिता की धारा 32 के अंतर्गत अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर वादग्रस्त भूमियों को शासकीय तालाब/भीटा दर्ज करने के आदेश देते हुये प्रकरण के अंतिम निराकरण तक कय विकय निषेधित करने के आदेश दिये एंव प्रकरण अनावेदकगण की सुनवाई हेतु आगामी तिथि 14-09-2010 को नियत कर कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया। अनावेदिका व्दारा इसका जवाव/आपत्ति प्रस्तुत की, अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। अतः यह निगरानी दिनांक 10-8-2015 को प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी की ग्राह्यता पर एंव अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदिका के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि तहसीलदार सोहागपुर के व्यर्थ जांच प्रतिवेदन के आधार पर आवेदिका को सूचना दिये बिना एंव सुनवाई का अवसर दिये बिना राजस्व अभिलेखों से आवेदिका की भूमि शासकीय अंकित करने का आदेश दिया गया है कलेक्टर न्यायालय में दिनांक 28-12-2010 को उपस्थित होकर प्रारंभिक आपत्ति की गई कि भूमि कभी भी तालाब नहीं रही है। कलेक्टर व्दारा की जा रही कार्यवाही अभी भी निरन्तर जारी है इस कारण पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करने में समयावधि की कोई वाधा नहीं है इसलिये पुनरीक्षण समयावधि में होना मान्य किया जाकर प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार पर किया जाय। यह भी कहा कि चूँकि आवेदक व्दारा नोटिस का उत्तर दिया जा चुका है एंव कलेक्टर व्दारा उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है अतः कलेक्टर व्दारा किया गया आदेश निरस्त किया जाय। इस सम्बन्ध में राजस्व मण्डल के निर्णय पुनरीक्षण कमांक 1295-दो/2010 उर्मियासिंह विरूद्व शासन तथा प्रकरण कमांक 1772-दो/2010 श्रीमती रेखा शुक्ला विरूद्व शासन आदि में भी इसी प्रकार का अवैध निर्णय निरस्त किया है। अतः इस प्रकरण में भी कलेक्टर का विचाराधीन आदेश निरस्त किया जाए। अनावेदक के शासन के अभिभाषक ने निगरानी 5 वर्ष से अधिक विलम्ब से प्रस्तुत होना बताते हुये समयवाह्य होने के आधार पर निरस्त करने की मांग की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव कलेक्टर जिला शहडौल द्वारा प्रकरण कमांक 51 अ-74/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 26-8-2010 के अवलोकन से स्थिति यह है कि इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदिका ने 26-6-15 को प्राप्त की है एंव इस न्यायालय में निगरानी ——

10-8-2015 को प्रस्तुत की है, जबकि नोटिस तत्समय प्राप्त होकर उत्तर भी प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार 26-8-2010 से 10-8-2015 तक चार वर्ष साढ़े ग्यारह माह विलम्ब से प्रस्तुत की है एंव कलेक्टर के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के दिनांक 26-6-15 से निगरानी प्रस्तुत करने के दिनांक 10-8-15 तक व्यतीत अवधि का दिन-प्रतिदिन के विलम्ब का हिसाव भी नहीं दिया गया है। आवेदिका को कलेक्टर शहडौल के अंतरिम आदेश दिनांक 26-8-2010 की जानकारी आवेदिका ने 28-12-2010 को होना अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन के पैरा 4 में स्वतः अंकित की है। इस प्रकार निगरानी समयावधि से बाहर प्रस्तुत की है एंव वर्तमान में कलेक्टर शहडौल के यहॉ इसी प्रकरण में अन्य हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई की जा रही है । आवेदिका को भी कलेक्टर के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उपचार प्राप्त है तथा आवेदिका जो तथ्य इस न्यायालय में बताकर निगरानी में सहायता प्राप्त करने की अपेक्षा रखती है वह कलेक्टर न्यायालय में भी प्रस्तुत करके सहायता प्राप्त कर सकती है । चूॅकि कलेक्टर न्यायालय में स्वमेव निगरानी प्रकरण 5 वर्ष से लम्बित है। अतः निगरानी समयावधि से वाहर होने पर भी न्यायहित में कलेक्टर शहडौल को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण के समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर साक्ष्य के आधार पर यथाशीध्र सुनवाई कर छै माह के भीतर प्रकरण अंतिम रूप से निराकरण करें।

(डॉ० मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर